सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2024 / 413 दर्ज तिथिः–09.09.2024

1. वालीदेवी पत्नी गुमनाराम
   जाति जाट निवासी ईश्वरपुरा, बांटा, तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. चूनीदेवी पत्नी किस्तुराराम
   जाति जाट निवासी ईश्वरपुरा, बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
2. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

.................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री रामजीवन विश्नोई
अप्रार्थीगणः–एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–17.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की क्रयशुदा खातेदारी आराजी खसरा संख्या 141 / 12 / 1.1331 है0 मौजा ईश्वरपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। प्रार्थीनी द्वारा उक्त आराजी मूल खसरा संख्या 141 रकबा 41. 12 बीघा मौजा ईश्वरपुरा के खातेदार भीखा पुत्र फुआ से जरीये पंजीकृत बयनामा दिनांक 20.01.2006 द्वारा रकबा 07.00 बीघा भूमि क्रय की गई थी। उक्त क्रयशुदा आराजी को खसरा संख्या 141 / 12 आवंटित कर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीनी का नाम दर्ज किया गया तथा लट्ठा ट्रेस में तरमीम अंकित की गई। मुताबिक पंजीकृत बयनामा प्रार्थीनी के उत्तर दिशा के सेढे पर 01 बीघा की आराजी अप्रार्थी संख्या 01 की अवस्थित है। जिसका खसरा संख्या 141 / 11 दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीनी वर्तमान में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:05 IST
Reason: SelfAttested

अपनी खातेदारी आराजी के उत्तरी सेढे पर अप्रार्थी संख्या 01 के रकबा 01 बीघा भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि पर प्रार्थीनी काबिज काश्त है। प्रार्थीनी की उक्त भूमि रास्ता पर अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीनी का कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चलता आ रहा है। परंतु ऑनलाईन भू—नक्शा की तरमीम में राजस्व कार्मिकों द्वारा त्रुटिवश अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 141/11 की तरमीम रकबे से ज्यादा करते हुए पूरी सड़क पर अप्रार्थी संख्या 01 की तरमीम अंकित कर दी तथा प्रार्थीनी की आराजी की तरमीम सड़क से दूर गलत दर्ज कर दी। जिससे मौके व रिकॉर्ड में भिन्नता आ गई।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा हल्का पटवारी के मार्फत दिनांक 24.12.2024 को जांच करवाई जाकर मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः—

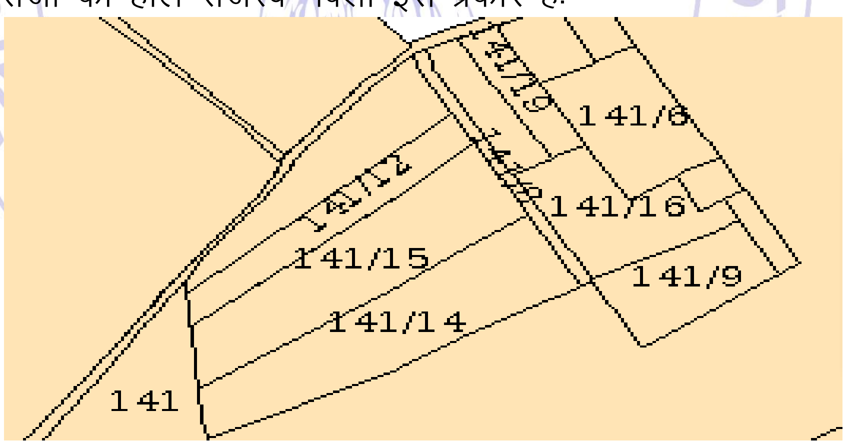

5. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 141/12 तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 141/11 मौजा ईश्वरपुरा तहसील गुडामालानी पडोस में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:05 IST
Reason: SelfAttested

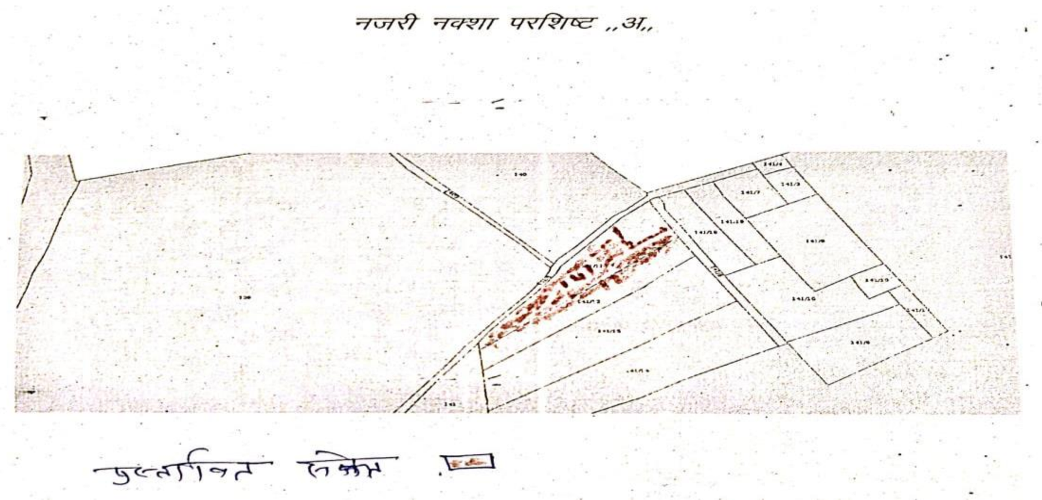

6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी की दिनांक 24.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा दिनांक 24.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:—

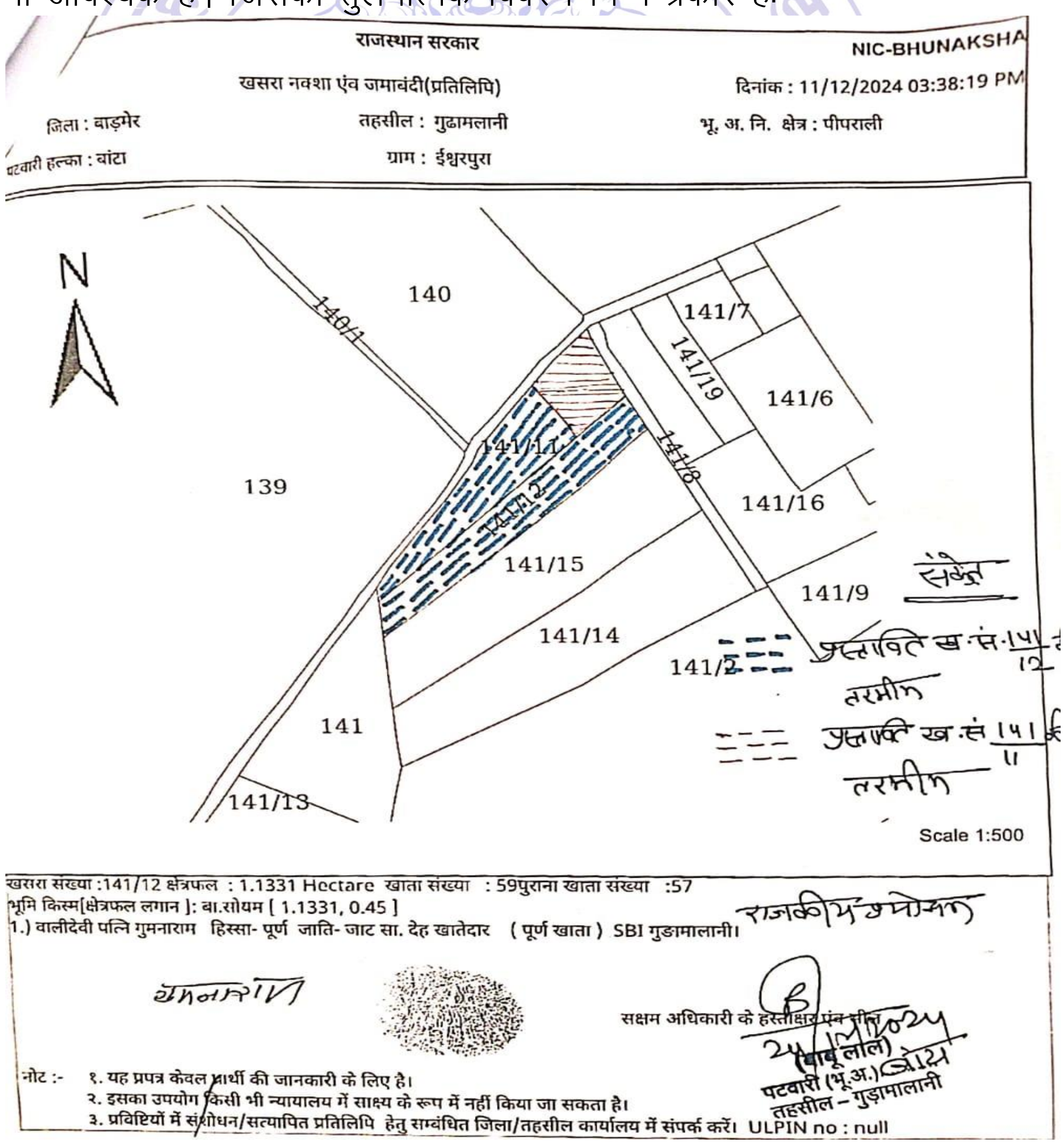

राजस्थान सरकार
NIC-BHUNAKSHA
खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)
दिनांक : 11/12/2024 03:38:19 PM
जिला : बाड़मेर
तहसील : गुढामलानी
भू. अ. नि. क्षेत्र : पीपराली
पटवारी हल्का : बांटा
ग्राम : ईश्वरपुरा

खसरा संख्या :141/12 क्षेत्रफल : 1.1331 Hectare खाता संख्या : 59पुराना खाता संख्या :57
भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [1.1331, 0.45]
1.) वालीदेवी पत्नि गुमनाराम हिस्सा- पूर्ण जाति- जाट सा. देह खातेदार (पूर्ण खाता) SBI गुड़ामालानी।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मय सील
24/12/2024
(बाबू लाल)
पटवारी (भू.अ.) ईश्वरपुरा
तहसील – गुड़ामालानी

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय में संपर्क करें। ULPIN no : null

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:05 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा दिनांक 24.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

1. प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 141/12 की ग्राम ईश्वरपुरा के नामांतरकरण संख्या 986 की पुश्त पर अंकित तरमीम वर्तमान राजस्व भू—नक्शा में अंकित तरमीम से भिन्न है। लट्ठे में अंकित तरमीम व नामांतरकरण पुश्त पर अंकित तरमीम एक समान है। अतः राजस्व लट्ठा, नामांतरकरण पुश्त व कब्जा काश्त अनुसार प्रार्थी की तरमीम शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है।
2. उक्त आराजी के खसरे की तरमीम परिशिष्ट—अ/मौके पर काबिज काश्त अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शा में तितम्मा दुरूस्त किया जाना उचित है।
3. अप्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 141/11 रकबा 0.1619 है0 की तरमीम मौके कब्जा काश्त व नामांतरकरण संख्या 986 की पुश्त पर अंकित तरमीम अनुसार नहीं की गई है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा दिनांक 24.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 141/12 तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 141/11 मौजा ईश्वरपुरा तहसील गुडामालानी पडोस में अवस्थित है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा दिनांक 24.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा दिनांक 24.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि दिनांक 24.12.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:21:05 IST
Reason: SelfAttested